APP-
erlm-I A

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लूनकरनसर

बिसनाराम रूपाराम पि॰ रामजस बनाम सरकार

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 एल॰आर॰ नं॰ 148 सन् 2019

नियम 17(4) आवंटन नियम 1975

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/9/18	आज यह पत्रावली तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर से उनके पत्रांक 7483 दिनांक 21/8/19 के संलग्न प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज के प्राप्त होने पर मुस्तीन उ3/ पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। इस प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने तहसीलदार लूनकरनसर के समक्ष प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि चक 6 BMM के मु॰नं॰ 26/61, 46/4 व 46/5 की 9 बीघा भूमि गैरखातेदारी से खाते घोषित की गई जिसका रिकार्ड में इन्द्राज करवाना चाहता है प्रार्थीगण का कब्जा संवत् 2003 से पूर्व का है। प्रार्थना पत्र तहसीलदार लूनकरनसर विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि की किस्म परिवर्तन करवाना चाहते है जो पर्चा खतौनी 1948 व खसरा नम्बर 131 तादादी 54.09 व खेवट खतौनी स॰ 2011 में रामजस कासी, शंकर पि॰ किसना आदि बिसोई के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 131 के नये खसरा नं॰ 264 बने (मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के) चक 6 BMM के मु॰नं॰ 26/61 कि॰नं॰ 2 ता 13 = 12.00 बीघा, मु॰नं॰ 46/4 के कि॰नं॰ 16/0.5 17 ता 19/3-0 21 ता 25/5-0 = 8-05 बीघा व मु॰नं॰ 46/5 के कि॰नं॰ 1 ता 7/7.0 9/1.0 = 8.00 मुताबिक जमा की बिसनाराम राजाराम कासी पि॰ रामजस, ईश्वरराम कानीराम पि॰ सांवरराम जगदीश कुमार शंकरलाल के नाम दर्ज है उपरोक्त खसरा सूची नं॰ 04 व 8 से मिलान होता है। कार्यवाहक अधिकारी द्वारा खाते घोषित की गई है जिसकी रिपोर्ट संलग्न है प्रार्थीगण मुताबिक सूची 8 खातेदार दर्ज है। तहसीलदार	

उपखण्ड अधिकारी
लूनकरणसर

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
$\frac{5\text{ता}7}{1.00}$, मु०न० 46/4 कि०न० $\frac{21}{1.0}$ बीघा, 46/5 कि०न० $\frac{1}{1.0}$ बीघा कमांड घोषित किया गया है इसी प्रकार सिंचाई विभाग के कार्यादेश 492 दि. 11/6/18 अनुसार सन 77-78 में आर० रकबा की समक्षेत्रफल कोड 8832 दि 7/5/98 गांव मु०न० 26/61 कि०न० $\frac{2-3}{2.0}$ $\frac{8\text{ता}13}{6.0}$ = 8.00, 46/4 कि०न० $\frac{16}{.05}$, $\frac{17\text{ता}19}{3.0}$, $\frac{22\text{ता}25}{4.0}$ 7.05, 46/5 कि०न० $\frac{2\text{ता}7}{6.0}$ $\frac{9}{1.0}$ 7.00 बीघा कुल 22.05 बीघा को अनकमांड से कमांड घोषित किया गया है। प्रार्थीगण उपरोक्त प्रमाण का सिंचाई विभाग रिकार्ड में आर० से कमांड दर्ज करवाना चाहते हैं। तहसीलदार (राजस्व) लूणकरणसर से प्राप्त रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज मिसल बन्दोबस्त 1958, जमाबन्दी 2011 व गिरदावरी के अनुसार उक्त रकबा प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी दर्ज है। भावरंत नियम 1975 के नियम 17(5) में अनकमांड से भूमि कमांड घोषित होने पर तत्समय प्रचलित कमांड की दर से अन्तर राशि लिये जाने का प्रावधान है। प्रस्तुत प्रकरण में रकबा बन्दोबस्ती खातेदारी दर्ज होने से अन्तर राशि देय नहीं है। अतः प्रार्थीगण की अनकमांड से कमांड भूमि का राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार लूणकरणसर को त्रुटी शुद्धि हेतु जारी हो। ~~[illegible]~~ प्रार्थी मिश्रीलाल की कमांड भूमि ~~[illegible]~~ मु०न० 46/4 के कि०न० $\frac{18-19}{2.0}$, $\frac{22-23}{2.0}$ = 4.00 मु०न० 46/5 कि०न० $\frac{2-3}{2.0}$ व $\frac{9}{1.0}$ = 3.00 कुल 7.00 बीघा आर० से कमांड दर्ज की गई। इसी प्रकार काशीराम की मु०न० 46/4 कि०न० $\frac{16}{.05}$ $\frac{17}{1.0}$, $\frac{24-25}{2.0}$ = 3.05 मु०न० 46/5 के कि०न० $\frac{4-5}{2.0}$ $\frac{6}{0.11}$ $\frac{7}{0.18}$ = 3.09 कुल 6.14 आर० से कमांड, जगदीश पुत्र शंकरलाल की मु०न० 26/61 के कि०न० $\frac{5\text{ता}7}{4.0}$, मु०न० 46/4 के कि०न० $\frac{2\|2}{0.18}$, मु०न० 46/5 के कि०न० $\frac{1\|2}{0.18}$ कुल 5.16 आर० से कमांड व मिश्रीलाल पुत्र रुघाराम व हि. राजाराम पुत्र रामजस की मु०न० 26/61 के कि०न० $\frac{2-3}{2.0}$, $\frac{8\text{ता}13}{6.0}$ = 8.00 बीघा आर० से कमांड घोषित की गई है। उसी अनुसार तहसील जारी होकर पत्रावली नियमानुसार में पूर्ण होकर दस्तरे दाखिल अदालत हो। आदेश आज दि० 12/9/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	